MRA AN UNIVA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

No. 420 |

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2002/भाद्र 19, 1924

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2002/BHADRA 19, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 636(अ). — केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 2002 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।
- 2. मसाला बोर्ड नियम, 1987 में-
 - (क) नियम 15 के उपनियम (1) में "के सचिव" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ख) नियम 15 अ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"15 अ (1) मसालों का कोई ऐसा निर्यातकर्ता जिसका अपना अथवा किराए या पट्टे पर लिया गया परिसर है जिसमें इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में दी गयी सफाई श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भंडागारण और पैकिंग सुविधाएं है, मसाला घर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए बोर्ड को प्ररूप VI में आवेदन कर सकेगा। बोर्ड स्वामित्वाधीन या तीन वर्ष से अन्यून अविध के लिए किराए पर या पटटे पर लिए गए परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अपना समाधान हो जाने पर प्ररूप VII में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। यदि किसी समय निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि निर्यातकर्त्ता के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं तो उसे जारी किया गया मसाला घर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा";

मसाला घर प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगाः (2)

परन्तु प्रमाणपत्र उस अवधि के लिए अविधिमान्य होगा जिसके लिए निर्यातकर्त्ता वैध निर्यातक रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारित नहीं करता है:

परन्तु यह और कि यदि निर्यातकर्ता उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुविधाएं रखता है तो प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा"।

प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :-(ग)

"प्ररूप - 1

(नियम 15 देखिए)

मसाला निर्यातकर्त्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन।

- 1. संगठन का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
- प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता 2. भवन संख्या भवन का नाम कि निकास मान क्यों के ला किया है कि विकास कार्य है कि साम क्या है सड़क

शहर

राज्य

टेलीफोन

मोबाइल

फैक्स

ई मेल

शाखाओं का पता, यदि कोई है पृथक शीट में दें।

3. गठन (कृपया जहां समुचित हो, वहां सही का निशान लगाएं)

स्वत्वधारिता

प्राइवैट लिमिटेड कंपनी

0

0

	हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भागीदारी सहकारी सोसाइटी अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	पब्लिक पब्लिक	लिमिटेड कंपनी सेक्टर (केन्द्रीय सरका सेक्टर (राज्य सरकार)	मार्ग कि जाते। स्टब्स
4.	स्थापना की तारीख	तारीख.	वर्ष	
5.	आई ई कोड संख्या (स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न करें)	जारी व	रुने का स्थान	
6.	विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण (स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न व	नरें) इस्ते	जी एस टी जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान सी एस टी जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान	Grants and
7.	कृपया उपदर्शित करें कि आवेद विद्यमान प्रमाणपत्र के नवीकरण लिए है या नए प्रमाण पत्र के ि (कृपया जहां समुचित हो वहां र का निशान लगाएं) यदि नवीकरण के लिए तो कृप प्रमाण पत्र संख्याक जारी करने की तारीख	ा के लेए प्रही या बताएं	नवीकरण	हरी क किंग के एनेया है। कीएए फेल्) हरी कि किंग होक्टी के कि
	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौर निर्यात किए गए मसालों के ब्ये			1000 1000 1000
(3	वर्ष मसाले का नाम प्रेल-मार्च) रूपये में)	Ŧ	निर्यात की गयी मात्रा (मीट्रिक टन में)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (लाख
*******	(in Shell or wor	DEET!	PROPER (SIME) N	1175

8.	संप्रेषित फीस के ब्यौरे रकम संदाय की पद्धित (जहाँ समुचित हो, वहां सही का निशान लगाएं) डिमांड ड्राफ्ट संख्यांक
	बैंक
9.	स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम और पते (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें)
10.	संगठन की प्रास्थिति
11.	व्यापारी निर्यातकर्ताहांनहीं (जहां समुचित हो, वहां सही का निशान लगाएं)
12.	विनिर्माता निर्यातकर्ता ँ
	क. प्रसंस्करण एकक का पता
	भवन संख्यांक
	सङ्क
	शहर .पिन
	राज्य
	टेलीफोन
	मोबाइल फैक्स
	ई मेल
	ख. उत्पाद (उत्पादों) प्रसंस्करण (कृपया प्रत्येक मद विनिर्दिष्ट करें)

		न में शेयर धारण प्रतिग	The second secon	ब्यौरे संलग्न
आकार		प्रकार		न्वामित्व
लघु उ	द्योग	—प्राइवेट सेक्टर	बहुराष्ट्रीय	निगम
मध्यम	उद्योग	पब्लिक सेक्टर	पूर्णतः भारतीय र	वामित्व की कं0
बड़े उद	ग्रेग	-सहकारी सोसाइटी	संयुक्त प्रति	ष्ठान
अन्य (वि	ानिर्दिष्टः करें)	अन्य (विनिर्दिष्ट — करें)	अन्य (विनिर्दि	ष्ट करें)
घ.	क्या प्रसंस्करण एकक शत-प्रतिशत ई ओ यू है (जहां समुचित हो,	वहां सही का निशान		नहीं
ड.	अवस्थान पता भवन संख्यांक भवन का नाम सड़क शहर राज्य	ई पी	पिन	एस ई जेड
ਹ .	सफाई	जहां समुचित हो वहां	A mel le pie	गाएं)

	ਚ	वाणु नाशन	the ter is pulled that the	
	PE SEM	केजिंग	राष्ट्र में हो अनुस्तर में है अर्थ	
	3	न्य		
	(*	विनिर्दिष्ट करें)		
	per i in		THERE	
	छ. ব	न्वालिटी परीक्षण सुविधाएं	कीटनाशी अवशिष	Ţ.
		जहां समुचित हो, वहां	एफ्लाटॉक्सिन	
		मही का निशान	रासायनिक संघटव	न संदूषक
			भौतिक	
		लगाएँ)	रासायनिक	
		a manin day	सूक्ष्म जैवीकरण	
		.0	<u> </u>	
	ज.	संस्थित क्षमता	ALE SA CI	
			ગાર્ટ	ग्रज ओ
	झ.	प्रमाणीकरण का ब्यौरा	आई	भ जी मी
		(जहा समुचित हो वहां	एच ए र	11 (21 -91
		सही का निशान लगाएं)	- 23	
			कार्बनिक उ	उत्पाद
			अन्य (कृंपया	ावानादष्ट
			करें)	
			कि कि कि वह कि महिला कि	
	ज्ञानका	काम-काज	रुपए	
13.		SE DE		
	पूंजी			
	पूंजी सं		रूपए	
	प्राधिकृ		रुपए	
	समादत्त	। पूजा		
			HDB	
14.	मसाली	के निर्यात के लिए ब्रांड व	हा नाम/व्यापार ।यन्ह	
				7
-		to the state of the same of the same of	उस्ति हा सावधार (प्राचा स्वाधिका	नाम नहीं
	क.	क्या बांड रजिस्ट्रीकृत है	नहींनहीं	लागू नहीं
		(जहां समुचित हो वहां		
		सही का निशान लगाएं)		
			- June	
	ख.	यदि हां, किस के साथ	मसाला बोर्ड	
	G.	बांड रजिस्ट्रीकृत	भारतीय व्यापार	चिन्ह रजिस्ट्री
		(जहां समुचित हो वहां	विदेशी व्यापार वि	वेन्ह रजिस्ट्री
		सही का निशान लगाएं)	(देश का नाम वि	निर्दिष्ट करें)
		सहा का गराम लगाइ)		

ग.	उपर्युक	त ब्रांड के साथ निर्यात के लिए निर्यातित/प्रस्तावित मसाले उत्पाद
15.	वे देश	जहां निर्यात किए गए हैं निर्यात करने के लिए आशयित हैं
		THE PARTY OF THE P
	सर्वोत्तम (निर्यात कारबार	घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे जान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं/हम मसाला बोर्ड कर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 में अधिकथित शर्तों और के संचालन के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए किन्हीं अनुदेशों अन करूंगा/करूंगी/करेंगे।
स्थान		हस्ताक्षर
तारीख-		नाम————————————————————————————————————
टिप्पणः-	-1.	आवेदन के साथ विहित फीस और अन्य दस्तावेज होने चाहिए ।
	2.	संदत्त की गयी फीस किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं की जाएगी।
		प्रत्येक मसाले के लिए निर्यात के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाने चाहिए ।"
		(जहां समृत्येत विभिट्ट सं बहां सही का भागीदारी पंजित पंजित पंजित निवास जगाए) सहकारी सोसाहरी पंजिता रेजा अना (विनिद्धित को)

घ. प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 6 (नियम 15क देखिए)

मसाला घर प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए आवेदन

- 1. संगठन का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
- 2. प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

भवन संख्याक भवन का नाम सड़क शहर राज्य टेलीफोन मोबाइल फैक्स ई मेल

पिन

शाखाओं का पता, यदि कोई हो, पृथक पन्नों में प्रस्तुत करें।

गठन
 (जहां समुचित
 हो वहां सही का
 निशान लगाएं)

स्वत्वधारिता हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भागीदारी सहकारी सोसाइटी अन्य (विनिर्दिष्ट करें) प्राइवैट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर (केन्द्रीय सरकार) पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)

4. स्थापना की तारीख

तारीख.....मास.....वर्ष

5.	निर्यातकर्त्ता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
	जारी किए जाने की तारीख
*	जारी किए जाने का स्थान
6.	क्या आवेदन मसाला घर प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए है या नये नवीकरण नया प्रमाण पत्र के लिए है (जहाँ समुचित हो, वहाँ सही का निशान लगाएं)
7.	यदि नवीकरण के लिए हैं, वो उपदर्शित करें.
í.	प्रमाण पत्र संख्यांक
	जारी किए जाने की तारीख

प्रसंस्करण एकक की विशिष्टियां

क. परिसर की प्रास्थिति (जहां समुचित हो वहां सही का निशान लगाएं)

स्वय धारित

पटटे पर

(स्वामित्व विलेख/पटटा करार की प्रति संलग्न करें)

ख.	प्रसंस्करण	एकक का पता			on National Control	
	भवन संख	21165				
	भवन का					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	गली	===				
	शहर	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		——पिन	I	
	राज्य					
	टेलीफोन					
	मोबाइल					
	फैक्स	PERSONAL PROPERTY.	Tille"			
	ई-मेल					
					the to study the	
9.	वह भवन	जिसमें प्रसंस्करण एकक	स्थित है		The second second	
(क)	क्या भव					
	संरचना	स्थायी है		हॉ	———-नहीं	
(ख)	आच्छादि	त क्षेत्र	-		वर्गफीट	va
(ग)		का प्रकार	*	मिंट युक्त	आर.सी.सी. अन्य विनि	नादष्ट कर
(जहां	समुचित हे	वहां सही का निशान	दिवार			
लगाएँ)		वर्ग	19		
			छत	\	0 _ 0 1	V 1
10.	उपलब्ध	स्वच्छप्रद सुविधाएं (कृपया	जहां समुचि	त हो वहा स	हा का निशान लगाए)	
(कृपय	॥ भरे जाने	से पूर्व संलग्न अनुसूची व	ने पढ़ ले)			नहीं
	(i)	धुलाई सुविधाएं			हा	
	(ii)	मार्जक (डिटरजैंट)			हाँ	
	(iii)	तौलिए		3	ਵਾੱ	
	(iv)	कर्मकारों के लिए ड्रेसिंग				नहीं
	(v)	पुरुषों के लिए प्रसाधन सु	विधाएं	-		नहीं
	(vi)	महिलाओं के लिए प्रसाधन			हाँ	नहीं
	(vii)	कर्मकारों के लिए हैंडगिय	र	110		नहीं
	(viii)	कर्मकारों के लिए माउथव				नहीं
	(ix)	अपशिष्ट सामग्री के व्ययन			हाँ	
1.	()	सुविधाएं				
	(x)	कोई अन्य सुविधाएं			हाँ	
	(21)	(विनिर्दिष्ट करें)				
	ora of Fa					
		1 1 12			V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-

भाग	П	रवा	DE.	3	(i)	ř
-	AA	CA.	,0	2	Œ9).	U.

भारत	का	राज	पत्र	असा	धारण

11.	वह उत्पाद जिसके लिए मसाला घर	
	प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है	
	(प्रत्येक मसाला उत्पाद के लिए पृथक आवेदन अपेक्षित	意)

12. उपलब्ध सुविधाएं

उपस्कर/मशीनरी सहित सुविधाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करें । यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्ने संलग्न करें

क.	धुलाई		1
ख	शुष्कन		
ग.	प्रसंस्करण		
घ	श्रेणीकरण		
ड.	पैकेजिंग	पैकों का यूनिट भार	
	CONTRACTOR OF THE PARTY.	पैकिंग सामग्री	
च	भांडागरण		
ड.	क्वालिटी नियंत्रण		1 1 1
ज	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		ole .

क्षा प्राप्त के स्थान के समानिक स्थान

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है । मैंने/हमने मसाला बोर्ड नियम, 1987 के उपबंधों को ध्यान से पढ़ लिया है और मैं/हम उसका अनुपालन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

हस्ताक्षर

स्थानः

नाम

तारीखः

पदाभिधान"

प्ररूप 7 में "सचिव (मुद्रा)"के स्थान पर

> " बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सील) रखे ।

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

अनुसूची

मसालों तथा मसाला उत्पाद प्रसंस्करण यूनिटों को मसाला घर प्रमाण पत्र के लिए अर्ह बनाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं

I प्रसंस्करण

- 1. परिसर और परिवेश भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक प्रदूषण और प्रसंस्करण में उत्पाद या यूनिटों में नियोजित व्यक्ति को किसी परिसंकट से बचाने के लिए परिवेश साफ रखा जाएगा । हवा में उड़ कर आने वाली धूल को रोकने हेतु परिसर के ठीक पहुँच मार्गों का तल पक्क होगा ।
- 2. भवन भवन, स्थायी प्रकृति का, पर्याप्त प्रकाश से युक्त होगा जिसमें जलवायु संबंधी परिसंकट से संरक्षण की व्यवस्था होगी और सामग्री के आर-पार संदूषण के निवारण के लिए निर्मित होगा । संदूषण के अपवर्जन के लिए आवसिक क्षेत्र पृथक होंगे । खाद्य धराई-उठाई क्षेत्रों का कीटों, कृंतकों और पशुओं से संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे । छते, दीवारें और फर्श चिकने जल से अमेध और स्वच्छ करने योग्य होंगे । दरवाजों और खिड़कियों को उचित रूप से संरेखित किया जाएगा और कीटरोधी व्यवस्था की जाएंगी । उपयुक्त निकास द्वारों की व्यवस्था की जाएंगी ।
- 3. वस्त्र परिवर्तन कक्ष पुरूष और स्त्री कर्मकारों के लिए कार्यक्षेत्र के प्रवेश द्वार के निकट अपेक्षित सुविधाओं सहित अलग-अलग वस्त्र परिवर्तन कक्ष होंगे । यूनिट में किसी प्रक्रिया में लगे होने पर, स्वच्छ कार्यकरण वस्त्र, एप्रन, हेडगियर और माउथ कवर की व्यवस्था की जाएगी । उनका उपयोग किया जाना चाहिए ।
- 4. मशीनरी और उपस्कर कच्ची सामग्री, अपनायी गयी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तथा परिरूपित उत्पाद पर निर्भर करते हुए, मसालों के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त संख्या और क्षमता की उचित मशीनरी होगी । मशीनरी अच्छी दशा में रखी जाएगी और उनका अच्छी तरह अनुरक्षण किया जाएगा ।

(6

- 5. बर्तन,वर्क टेबल तथा आधान खाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तन, वर्क टेबल एवं आधान चिकने, संक्षरण रोधी तथा साफ करने में आसान होंगे । खाद्य सामग्री और अखाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तन अलग अलग होंगे और उन्हें उस रूप में अलग अलग पहचाना जाएगा ।
- 6. बॉयलर प्रसंस्करण के लिए यदि भत्ता अपेक्षित हो तो उचित क्षमता का बॉयलर संस्थित किया जाएगा जो उसके लिए लागू कानूनी विनियम के अनुसार होगा ।
- 7. जल प्रसंस्करण और सफाई के लिए प्रयुक्त जल पीने योग्य होगा और सुसंगत आई एस आई विनिर्देशों के अनुसार होगा ।
- 8. बहिःस्रावी उपचार सुसंगत कानूनी विनियमों की पूर्ति के लिए उपयुक्त बहिस्रावी उपचार प्रणाली होगी ।
- 9. अनुरक्षण परिसर, भवन, मशीनरी, मशीनरी से जुड़े उपकरण आदि की प्रलेखित अनुरक्षण अनुसूची होगी और मानीटरिंग तथा जांच युक्तियों का अंशशोधन किया जाएगा ।
- 10. प्रसाधन बहने वाले पानी सहित स्वच्छ प्रकार के शौचघर पर्याप्त संख्या में होंगे ।

II स्वच्छता, सफाई एवं स्वास्थ्य मानकः

- 1. कार्मिकों का स्वास्थ्य- (क) सीधे मसालों को उठाने-धरने,खाद्य संपर्क सतहों और पैंकिंग सामग्री में लगे कार्मिकों द्वारा सर्वोच्च संभव स्वच्छता का अनुपालन किया जाएगा । कार्मिक सांसर्गिक रोगों से मुक्त होंगे ।
- 2. यूनिट में स्वच्छता (ख) खाद्य संपर्क क्षेत्र, फर्श, दीवारें, पार्टीशन, परछती और छत की लाइनिंग, मशीनरी, उपस्कर, बर्तन, टायलेट, सफाई सुविधाएं आदि साफ और अच्छी दशा में रखी जाएंगी । प्रसंस्करण परिसर कृंतकों, पीड़क जंतुओं, कीटों कीड़े मकोड़ों, पिक्षयों और पशुओं तथा पालतू पशुओं से मुक्त होने चाहिए और उन्हें प्रलेखित किया जाना चाहिए । प्रयुक्त कृंतकनाशी, कीटनाशी आदि क्षेत्र को संदूषित नहीं करेंगे और उन्हें प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा ही धरा-उठाया जाएगा ।
- 3. धातु, कांच आदि से प्रदूषण का नियंत्रण धातु, कांच आदि से प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए उचित रूप से प्रलेखित नीति होगी । सभी दीपों के लिए उचित सुरक्षात्मक आवरण होने चाहिए ।

III अांडागार सुविधाएं

1. कच्ची सामग्री/तैयार माल भंडार - कच्ची सामग्री के गोदामों के लिए पर्याप्त स्थान होने चाहिए जहां कस के फिट किए गए द्वार, समतल फर्श और दीवार हों । तैयार माल भंडार में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें सामग्री पर निर्भर यथा अपेक्षित पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हों । कृंतक और नाशक जीव नियंत्रण व्यवस्था भंडार में उपलब्ध होगी ।

2. शुष्कन यार्ड - यदि यांत्रिकी शुष्कन का प्रयोग होता है तो वह उपयुक्त और पर्याप्त क्षमता में होगा । यदि विद्युत से भिन्न ईधन का प्रयोग होता है तो ईधन सामग्री द्वारा संदूषण का कोई अवसर नहीं होगा । पर्याप्त क्षमता के यांत्रिकी शुष्कन की अनुपस्थिति में, पर्याप्त स्थान वाला शुष्कन यार्ड होगा और शुष्कन यार्ड समतल होगा और जिसमें चिड़ियों और पशुओं के संरक्षण के लिए सुविधा सहित पर्याप्त उपयुक्त ढाल होगी ।

IV गुणवत्ता आश्वासन

प्रयोगशाला- कच्ची सामग्री,प्रक्रिया तथा उत्पाद पर निर्भर रहते हुए पर्याप्त जांच सुविधाओं सहित एक प्रयोगशाला होगीं।अर्हित एवं अनुभवी तकनीकी कार्मिक,प्रयोगशाला में कार्य करेंगे । जांच रिपोर्टे उचित रिजस्टरों में प्रलेखित की जाएंगी। प्रसंस्करण के दौरान कच्ची सामग्री और तैयार माल नियमित जांचों के अधीन होंगे और अनुरक्षित रिजस्टर में विशलेषणात्मक डाटा प्रलेखित किया जाएगा ।

V. पैकेजिंग और श्रेणीकरण

पैकेजिंग - एक ऐसी स्वचालित या अर्द्ध स्वचालित समुचित पैकेजिंग प्रणाली होगी जो पैकेजिंग केअंतर्र्वस्तुके साथ प्रत्यक्ष संपर्क को कम करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रदूषण न हो सके । विभिन्न विनिर्देशों के उत्पादित/उत्पाद मसाला के श्रेणीकरण के लिए सुविधाएं होगी ।

VI. प्रमाणीकरण अपेक्षाएं

प्रमाणीकरण अपेक्षाएं - किसी भी अनुगोदित अभिकरणों द्वारा आइ एस ओ 9000 तथा एच ए सी सी पी/जी एम पी के अधीन यूनिट प्रमाणित होगा, परन्तु मसाला घर प्रमाणज धारकों की दशा में अधिसूचना की तारीख से अधिकतम एक साल की अवधि के लिए इस शर्त को शिथिल किया जा सकेगा।

> [फा. सं. 5/1/2002-ईपी(एग्री-V)] एस. एस. कपूर, संयुक्त सचिव

विष्ण : मूल नियम सं.सा.का.नि. 115(अ) तारीख 26 फरवरी, 1987 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए -

There are suffer the white we do not have suffer the profits

The second of the property of the second of the second

- (1) अधिसूचना सं सा.का.नि.661(अ) तारीख 17 जुलाई, 1987;
- (2) अधिसूचना सं.सा.का.नि.503 (अ) तारीख 2 मई 1989;
- (3) अधिसूचना सं. सा.का.नि.47(अ) तारीख 5 जनवरी 1990
- (4) अधिसूचना सं.सा.का.नि. 74 (अ) तारीख 15 फरवरी, 1990;
- (5) अधिसूचना सं.सा.का.नि. 397(अ) तारीख 29 जून 1990
- (6) अधिसूचना सं.सा.का.नि. ३४० (अ) तारीख २७ मार्च 1993.
- (7) अधिसूचना सं.सा.का.नि. ६६१ (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 1993

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2002

G.S.R. 636(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Spices Board Rules, 1987, namely:-

- 1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Spices Board (Amendment) Rules, 2002.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Spices Board Rules, 1987-
- (a) in rule 15 in sub-rule(1), the words "the Secretary of" shall be omitted;
- (b) for rule 15 A, the following rule shall be substituted, namely:-
- "15A. (1) An exporter of spices who has his own or taken on rent or leased premises having facilities for cleaning, grading, processing, warehousing and packing as given in the Schedule annexed to these rules, may apply to the Board in Form-VI for grant of a Spice House Certificate. The Board, on being satisfied as to the facilities available in the premises owned or taken on rent or lease for a period of not less than three years, shall issue a certificate in Form VII.

 If on inspection at any time, it is found that the exporter does not have such facilities, the Spice House Certificate issued to him shall be cancelled".
 - (2). The Spice House Certificate shall be valid for three years from the date of issue:

Provided that the certificate shall be invalid for the period the exporter does not hold a valid exporter registration certificate:

Provided further that the certificate shall be renewed if the exporter maintains the facilities referred to in sub-rule (1).";

c) For Form 1, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM - 1 [See rule 15]

APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION / RENEWAL AS EXPORTER OF SPICES

1.	Name of Organisation (in block letters)		
2.	Address of principal / regi	istered office	
	Building No.		la l
	Building Name		2000 000 9 0 000 000
	Street		
	City		PIN I
	State		
	Tel de la		
	Mobile		
-	Fax:		
ti ni mpél	Email Furnish address of branch	hes if any, in separate sheets	
3.	Constitution (Please / where appropriate)	Proprietorship	Private Limited Co
450	appropriate)	Hindu Joint Family	Public Limited Co
		Partnership	Public Sector (Central Govt.)
ollare a	Word Johnson by retrocked as	Co-op. Society	Public Sector (State Govt.)
	Ol Marie Marie	Others (specify)	THE WHAT ARE NOT THE PARTY OF T
	daponi militaria no ba	AT IN STREET OF STREET AND ADDRESS.	and and reduced the second
4.	Date of Establishment	Date Month	Year

	भाग ॥—खण्ड ३(१)]	भारत का राजपत्र : असाधारण
5.	I.E.Code Number (Attach self attested	
	сору)	Date of issue
		Place of issue
6.	Sales Tax Registration	
(Attach self attested copy	GST
		Date of issue
1		Place of issue
		CST
		Date of issue
0		Place of Issue
7.	Indicate whether the applicate renewal of the existing cer new certificate (Please / where appropriate of the property of the certificate of the c	tificate or for a Renewal New
	Certificate No.	
*	Data at i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Date of Issue	
	Place of issue	
	Details of spices exported	during the last three financial years
	Year (April- Name of S March)	Spices Quantity exported FOB value (Rs.Lakhs) (MT)
		. The part of the control of the con
8.	Details of fee remitted	
	Amount	Rs.
	Mode of payment (Please √ where appropriate)	Cash Demand Draft
	Demand Draft No.	Date
	Bank	

18		THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(1)]
Э.	Name and address of the proprietor / Partners / Directors (Attach additional sheet if necessary)	
		Export House Trading House
10.	Status of the organisation (Please √ where appropriate)	Star Trading House Super Star Trading House
11.	Merchant exporter (Please √ where appropriate)	Yes No
12.	Manufacturer exporter (Please √ where appropriate)	Yes No
	If Manufacturer exporter, a. Address of the proces	
	Building No	
	Building Name	
	Street	
391	City	PIN +
	State	
	Tel.	
	Mobile	
	Fax	
	Email	
	b. Product(s) processing	g (Please specify each item)

(odimnosogo

	c. Category (Please √ v capital to support the	vhere appropriate) [Attac category]	ch details of share holding pattern and
	Size	Туре	Ownership
	Small scale industry	Private sector	Multinational Corporation
	Medium scale industry	Public sector	Fully Indian owned company
	Large scale industry	Co-operative	Joint venture
	Others (specify)	Others (specify)	Others (specify)
			outers (specify)
	d. Is the processing unit EOU (Please √ where appropriate) e. Location	a 100% Yes	□ No SEZ
	Address Building No.	48.	EPZ SEZ
	Building Name		
	Street		
	City		PIN
	State		1
	f. Facilities available (Plea	se √ where appropriate	
		Cleaning	E LANGE CONTRACTOR OF THE PARTY
		Grading	
		Sieving	The state of the s
100		Milling	Brand Name Trade manage .
		Distillation	
	MAIL COSTONIA	Extraction	an Whether Brandon
		Sterilization	Andrij betsleiger
		Packaging	
		Others	merw mov payal (a
		Please specify	SI DRANG SAT

	20	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	ID II C
	g. Quality testing facilities	Pesticide residue Aflatoxin	[PART II—SEC. 3(i)]
	(Please √ where appropriate)		
	Annual State of the last of th	Chemical constituents Contaminants	A SHE SHAPE SHE THE
		Physical	Victoria de la constitución de l
	Total Internal	Chemical	District Control of the Control of t
		Microbial	
	I Installed save -:		
	I. Installed capacity	MT	STREET, LAND OF THE PARTY OF TH
×	Details of certification Please √ where	ISO	A Charles To A
	appropriate)	HACCP	
		Organic Production	All and the
		Others (pl. specify)	
13.	Vorking capital available	Rs.	The state of the s
	(apital structure		
	A. a.	Colonia del minio Large et la	Sales and the sales and the sales are sales and the sales are sales are sales and the sales are
	Authorised capital	Rs	
	Paid up capital	Rs	
4.	Brand Name/Trade mark f		
		s. s.port of spices	The state of the s
	a) Whether Brand is	l V	
	registered (Please V	Yes No Not applica	ble
	b) If yes, with whom	The southern the second	
407	the brand is registered	Spices Board	
	(Please √ where	Indian Trade Marks Registry	
	appropriate)	Overseas Trade Marks Registry	
		(specify Name of the country)	

15.

c) Spice products exported/proposed to export with the above brand		
Larri Han Was Le John	LINE HIT THERE MOT	entranta de la companya della companya de la companya de la companya della compan
/ /		
Countries to which export	ed / intended to export	
		The state of the s

DECLARATION

I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/We shall abide by the Spices Board Rules, 1987, the conditions laid down in the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and any instruction given by the Board from time to time regarding the conducting of business.

Place: Date: Signature

Name

Designation

Note:

- . Application should be accompanied with prescribed fee and other documents.
- 2. Fee once paid will not be refunded under any circumstances
- 3. Details of exports should be given separately for each of the spice";

d) for Form VI, the following Form shall be substituted, nam ely:-

"FORM - VI [See rule 15A]

APPLICATION FOR GRANT OF SPICE HOU'SE CERTIFICATE

1. 1	Name of Organisation (in block letters)	
L		
2.	Address of principal / reg	istered office
	Building No.	
	Building Name	
	Street	
	City	PIN
	State	
	Tel. Mobile	
	Fax	
	Email	hes if any, in separate sheets
3.	Constitution (Please √ where appropriate)	Proprietorship Private Limited Co
		Hindu Joint Family Public Limited Co
		Partnership Public Sector (Central Govt.)
	- Marketon	Co-op. Society Public Sector (State Govt.)
1		Others specify
4.	Date of Establishment	Date Month Year
5.	Exporter Registration No	
		Date of issue
	- 4.1	Place of issue

्रभाग	T [] — खण्ड 3(i)]	भारत व्हा राजपत्र : असाधारण
6.	Indicate whether the application is for renewal of Spice House Certificate or for a new certificate of where appropriate of the second	Ise Revnewal New
	Certificate No.	
	Date of Issue	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
8.	Particulars of processing u	init
<i>y</i>	a. Status of the premises (Please √ where appro [attach copy of ownersh lease agreement]	priate) ip deed/
	b. Address of the processi Building No.	ng unit
(Sa)	Building Name	
	Street	
	City	PIN PIN
	State	
	Tel.	
	Mobile	
	Fax	
	Email	
9.	Building housing the proc	essing unit
a.	Is the building of permanent nature	☐ Yes ☐ No
b.	Covered Area	Sq.Feet
C.	Type of construction (Please / where appropriate)	Cemented RCC Others Specify
	Wall	
	Floor	
	Roof	

1.

10	General hygienic facilities Available (Please / where appropriate) (Please read the schedule attached before filling)		
i)		Yes	No
ii)	Detergents	Yes	No
iii)	Towels	Yes	No
-iv)	Dressing room for workers	Yes	No
v)	Toilet facilities for males	Yes	No
vi)	Toilet facilities for females	Yes	No
vii)	Head gears for workers	Yes	No
viii)	Mouth cover for workers	Yes	No
ix)	Facilities for disposal of waste material	Yes	No
x)	Any other facilities (specify)	Yes	No.
	Grant California		
11.	Product for which Spice House Certificat (Separate application for each spice prod	e is applied for	
2	(Veparate application for each spice prov	flict is required)	
12		adot is required)	
12.	Facilities available Furnish details of facilities with equipmen		red attach additional sheet.
12.	Facilities available Furnish details of facilities with equipmen		red attach additional sheet.
12.	Facilities available		red attach additional sheet.
12.	Facilities available Furnish details of facilities with equipmen		red attach additional sheet.
	Facilities available Furnish details of facilities with equipment A. Cleaning		red attach additional sheet.
	Facilities available Furnish details of facilities with equipmen		red attach additional sheet.
	Facilities available Furnish details of facilities with equipment A. Cleaning		red attach additional sheet.
	Facilities available Furnish details of facilities with equipment A. Cleaning		red attach additional sheet.
	Facilities available Furnish details of facilities with equipmer A. Cleaning B. Drying		red attach additional sheet.

D. Grading	The state of the particular state and the state of the st
	The state of the s
	Designation of Anneal Section 19 and 19 and 19
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
E. Packaging	nor the economic terms are a medical and the state of the
The same of the sa	The sales of the same have been a second
A Alpha Lapin mass	Unit weight of packs
	Packing material
THE PART WATER	the of a state of the agreement support to the state of t
F. Ware housing	of the production of the produ
I have a last flaster was	
	I had not the rest of the part of the space and an include and
t blaubert die eine	or humbers to be made as account to a constitute
C Quality control	
G. Quality control	The state of the s
The party of he had	THE PARTY WILLIAM TO BE STORY OF THE PARTY O
Company of the Company	nt mint sident and that book taelong
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	THE REAL PROPERTY OF ADDRESS OF A
H. Others (specify)	been whitecom beautifu and limits graphenial
The Outloid (Openity)	of the property of the property of the party
- Appellant star of	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
BUTELLINE OF HERE	MANUAL DESIGNATION OF MANUAL TRANSPORT OF INCIDENCE
	ACCOUNT OF BUILDING STREET

DECLARATION

I/We, declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief. I/We have carefully read the provisions of the Spices Board Rules, 1987, and shall abide by them.

Signature

Name

Dato

Designation";

e) in Form VII, (i) for "Secretary (Seal)" substitute

"officer authorised by the Board (seal)";

(ii) for the schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Minimum facilities required for spices and spice products processing units to qualify for Spice House Certificate

I. PROCESSING:-

1) Premises and euroundings	The surroundings shall be clean to avoid physical, chemical and microbial contamination and any hazard to the product in process or to the personnel employed in the unit. The immediate approaches to the premises shall be hard surfaced to prevent wind blown dust.
2) Building:	The building shall be of permanent nature with adequate lighting, providing protection from climatic hazards and laid out to prevent cross contamination of the material. Residential areas shall be separate to preclude contamination. Adequate measures shall be provided to protect food handling areas from insects, rodents and animals. Ceiling, walls and floor shall be smooth, impermeable to water and cleanable. The doors and windows shall be aligned properly and provided with insect proofing. Suitable exhaust vents shall be provided.
3) Change rooms:	There shall be separate change rooms for male and female workers near the entrance of the work area with required facilities. Clean working clothes, aprons, headgears and mouth covers should be provided/used while engaged in any process in the unit.
4) Machineries and	
The state of the s	
Equipments:	There shall be suitable machinery for processing of spices in adequate number and capacity depending upon the raw material, process technology adopted and finished product. Machineries shall be kept in good conditions, well maintained.
5) Utensils, Work tables and containers:	Utensils, Work tables and containers used for edible materials shall be smooth, corrosion resistant and easy to clean. Utensils used for edible materials and non-edible materials shall be separate and shall be identified as such.
6) Boiler:	If steam is required for processing, boiler of suitable capacity shall be installed and shall meet the statutory regulation applicable to it.
7) Water:	Water used for processing and for sanitation purposes shall be potable and shall meet the relevant ISI specifications.
8) Effluent treatment:	There shall be suitable effluent treatment system meeting the relevant statutory regulations.

9) Maintenance:	There shall be documented maintenance schedule for the premises, building, machinery, instruments attached to machinery and monitoring and testing devises shall be calibrated.
10) Toilets:	There shall be adequate number of sanitary type toilets, with running water.

II. CLEANLINESS, SANITARY AND HYGIENIC STANDARDS:

1)Hygiene of Personnel	a) The highest possible cleanliness shall be observed by personnel directly handling spices, food contact surfaces and packing material. Personnel shall be free from contagious diseases.
2) Hygiene in the unit	b) Food contact areas, floors, walls, partitions, ceilings and roof linings, machinery, equipments, utensils, toilets, sanitation facilities etc shall be kept clean and in good condition. The processing premises should be free from Rodents pests, insects, vermin, birds and animals and pets and the same should be documented. Rodenticides, pesticides, etc used shall not contaminate the area and shall be handled only by trained personnel.
Control of contamination from metal, glass, etc.	There shall be properly documented policy to control contamination from metal, glass, etc. All lighting should have proper protection covers.

III. WAREHOUSING FACILITIES:

Raw material/ Finished goods storage:	There shall be raw material godown(s) of adequate space having tightly fitting doors, smooth floor and walls. Finished goods store shall have adequate facility including environmental conditions as required depending upon the material. Rodent and pest control arrangements shall be available in the storage.
2) Drying yard:	If mechanical dryers are used the same shall be suitable and of adequate capacity. If the fuel used is other than electricity, there shall not be any chance for contamination by the fuel material. In the absence of mechanical dryer of adequate capacity, there shall be drying yard of adequate space and the drying yard shall be smooth, having sufficient and suitable slope with facility for protection from birds and animals. The yard shall be skirted and there shall be facility for sanitizing feet and hand at the entrance.

QUALITY ASSURANCE: IV.

1) Laboratory	There shall be a laboratory with adequate testing facility depending upon the raw material, process, and product.
	The laboratory shall be manned by qualified and
	experienced technical personnel. Test reports shall be documented in proper registers. Raw materials, in process
	and finished products shall be subject to regular tests and registers maintained shall document the analytical data.

PACKAGING & GRADING: ٧.

Packaging	There shall be a well laid out packaging system either
Bind reproduct option	automatic or semi automatic which would minimize the direct contact with the contents of the packaging to ensure that
boog at bits nel most boom od till step bore stepsless	there is no contamination. There shall be facilities for grading the spice produce/products of different specifications.

VI.CERTIFICATION REQUIREMENTS:

Certification requirements	The unit shall be certified under ISO 9000 and HACCP /GMP by any of the approved agencies, provided that
	holders of Spice House Certificate may be given relaxation
	of this condition for a maximum period of one year from the date of the notification".

[F. No. 5/1/2002-EP(Agri-V)] S. S. KAPUR, Jt. Secv.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 115(E) dated 26th February, 1987 and have been amended vide notifications:-

- (1) notification No. GSR 661(E) dated 17th July, 1987; (2) notification No. GSR 503(E) dated 2nd May, 1989; (3) notification No. GSR 47(E) dated 5th January, 1990;
- (4) notification No. GSR 74(E) dated 15th February, 1990;
- (5) notification No. GSR 397(E) dated 29th June, 1990; (6) notification No. GSR 340(E) dated 29th March, 1993; (7) notification No. GSR No. 661(E) dated 19th October, 1993.